

क्रमांक - ए. 17 (1)साप्र/2/12

जयपुर दिनांक : 28.8.12


- आदेश -

श्री सुरेश चन्द कुमावत, वरिष्ठ लिपिक, भू जल विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 159/08 सेवा निवृत्ति दिनांक 31.8.2022 के आधार पर नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास संख्या 4/ए/13, गाँधीनगर जयपुर निम्न शर्तों पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है :-

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जावेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का विद्यमान राजस्थान विविज सेवा विभाग स्थान के किराये का अनुधारण कोर वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. संचालित दिनांक से दो माह परमात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह परमात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से परदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(1)(a) के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति परमात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुपलब्ध हो तो रोक दिया जावेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/अहर्गल वितरण अधिकारी कृपया आवंटनी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जावेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटनी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का भ्रम कष्टवे।
8. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशापी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवंटन प्रस्तुत करने के परमात आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही परदस्थापित रहे है।
 2. आवंटन प्रस्तुत करते ही किराये पर आवंटित राजकीय आवास को कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर अधिकृत किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
10. सुविधा शूलक को घंटे इनके वेतन से राशि रुप 150/- प्रतिमाह काटी जाकर राजकोष में जमा करानी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(मनोज कुमार बेरा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कर्मिक(ख-1) विभाग।
4. मुख्यलेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम प्रथम तल, सोजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का ध्यान करावे।
6. अधिशापी अभियन्ता, सांठनिक/जन सेवा अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गाँधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता,सार्वजनिक निर्माण विभाग सीडी गाँधीनगर,जयपुर।
8. संबंधित कर्मचारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेने पूर्व में आवंटित आवास 15 दिवस में रिक्त करने का भ्रम करे।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
10. वरिष्ठ प्रशासकी।


शासन सहायक सचिव

Dec(1st) A
37-2012
Lmsi
stalin
Dmlb